1

न्यायालय उप जिला कलक्टर, सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नामः– सुश्री अमृता खण्डेलवाल आर0 ए0 एस0)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 19/2025 (पुराना दर्ज संख्या–5/2024)
दायर दिनांकः– 07.05.2025 (पुरानी दर्ज दि0 21.02.2024)
निर्णय दिनांकः– 06.02.2026

उनवान

1. अर्जुनलाल पुत्र चुन्नीलाल
2. पांचूराम पुत्र चुन्नीलाल
3. बाबूलाल पुत्र चुन्नीलाल
   समस्त जाति कोली निवासी सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा।

——(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सैंथल जिला दौसा।
2. मनोहरलाल पुत्र घासीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चौरडी तहसील सैंथल जिला दौसा
3. कैलाश पुत्र रामनाथ नाई जाति नाई निवासी सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोविन्दा जाति कोली निवासी सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा

——(अप्रार्थी)

उपस्थिति :– 1–श्री मक्खन शर्मा अधिवक्ता––––(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 128 एल आर एक्ट
सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने बाबत

निर्णय दिनांकः– 06–02–2026

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा के रहने वाले है। ग्राम सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.21 है0 स्थित है। उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार व काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.05.2023 को करा लिया जिसका मौका पर्चा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.05.2023 के बनाया (प्रति संलग्न है)। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर पडोसी खातेदार आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते है जबकि उनका प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की वास्तविक पैमाईश कराकर पत्थरगढी करवाना चाहते है। ताकि सीमा संबंधी कोई विवाद ना रहें। तहसीलदार सैंथल को आदेश फरमाया जावे कि वो ग्राम ग्राम सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.21 है0 की राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से उक्त भूमि की वास्तविक पैमाइस कर भूमि के चारो तरफ सीमाओं पर पत्थरगढी के निशान कायम कर पत्थर गाढे ताकि कोई सीमाओं सम्बन्धि विवाद ना रहे। न्यायालय श्रीमान को धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पत्थरगढी के आदेश देने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में भूमि आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1805

Bl
उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

रकबा 0.21 है0 स्थित वाके ग्राम सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा के संबंध में जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 पत्र क्रमांक भू0अ0/कोर्ट/2024/613 पेश की गई। जिसके अनुसार तहसीलदार सैंथल ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 यह है कि ग्राम सैंथल के खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.21 है0 में खातेदार अुर्जनलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/3, पांचूराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/3, बाबूलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/3 जाति कोली सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जो सही है। चरण संख्या 2 यह है कि वादी स्वयं साबित करें। चरण संख्या 3 यह है कि वादी स्वयं साबित करें तथा 4, 5, व 6 श्रीमान के न्यायालय से सम्बन्धित है तथा ग्राम सैंथल के खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.21 है0 भूमि के पडौसी खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये जाने का कथन अंकित किया।

प्रार्थीगण को दिनांक 07.05.2025 को पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण द्वारा 10.06.2025 को पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 151 जा0 दी0 एवं संशोधित कॉज टाइटल पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 151 एवं संशोधित कॉज टाइटल स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 3 लगायत 4 को रजिस्टर्ड एडी से तामिल नोटिस भेजे गये। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा दिनांक 08.09.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति पत्र पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र धारा 128 पर की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवम तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के संबंध में पडौसी खातेदारों द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण अपने खेत की पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है।अतः पत्थरगढी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सैंथल को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.21 है0 स्थित वाके ग्राम सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा की टीम द्वारा नियमानुसार पैमाइश करवाकर प्रार्थीगण के खर्चे से पत्थरगढी की जाने हेतु कार्यवाही करावें तथा पत्थरगढी के दौरान मौके पर किसी अन्य का कब्जा पाया जाता है तो उसे जरिये पत्थरगढी ना हटाया जावें तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावें। तहसीलदार सैंथल पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से पेश करें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार, सैंथल को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सुश्री अमृता खण्डेलवाल (आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
सैंथल
सैंथल दौसा।